न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

(2)

अनुमति वाद संख्या :— 163/2019—20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

साल‍ु मुण्डा — विक्रेता

उजियालेन लकड़ा — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
05.01.20	(see below)	

05.01.20

आदेश

आवेदक सालु मुण्डा पिता स्व0 बागो मुण्डा ग्राम—गोड़ा टोली, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने उजियालेन लकड़ा पति नियारन मुण्डा ग्राम—गोड़ा टोली, पोस्ट—मुरहू, थाना—मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
गोड़ाटोली	46	51	94	0.23

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0206166379 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 896 दिनांक 21.12.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम सुपाए मुण्डा वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार सुपाय मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का 15.61¼ एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.60 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019—20 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 4206.00(चार हजार दो सौ छः)रू0 विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.37 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सालु मुण्डा पिता स्व0 बागो मुण्डा को उजियालेन लकड़ा पति नियारन मुण्डा के साथ ग्राम गोड़ाटोली के खाता सं0 51 खेसरा संख्या 94 कुल रकबा 0.23 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 4206.00(चार हजार दो सौ छः)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 05/01/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

(हस्ताक्षर) 05/01/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।